सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 22, बुधवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 13, 2023
Agrahayana 22, Wednesday , Saka 1945- December 13 , 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 09, 2023

संख्या प. 2(31)वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है ,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं ,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहूंचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार उक्त उक्त की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज'पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण/क्षैत्रफल हैक्टेयर
1	2	3	4	5	6
1	संजय वन 'बी'	विराटनगर	जयपुर	उत्तर- ग्राम लीलो का बास ख0नं0 301	ग्राम लीलों का बास ख0 नं0 किस्म रकबा 301/1 चरागाह 0.30 301/2 चरागाह 1.60 **कुल 1.90 है0**
				दक्षिण- में ख0नं0 430 (संजय वन लीलो का बास, वन विभाग)	
				पूर्व-में ग्राम जवानपुरा की सीमा से सटा हुआ	
				पश्चिम- ग्राम लीलो का बास ख.नं. 302 की खातेदारी भूमि।	

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (उत्तर)

द्वितीय अनुसूची

वनखण्डः- संजय वन ''बी''
नाम रेन्जः- शाहपुरा
वन मण्डलः- जयपुर (उत्तर)

Schedule-2

Trees of Sanjay Van B Forest Block			
S.No.	**Local Name**	**Botanical Name**	**Family**
1	Deshi Babool	Acacia nilotica variety indica, Vachellia nilotica	Fabaceae
2	Tortlis	Vachellia tortilis	Fabaceae
3	Khejri	Prosopis cineraria	Fabaceae
4	Juliflora	Prosopis juliflora	Fabaceae
5	Churel, Bandar baati	Holoptelea integrifolia	Ulmaceae
6	Kheri, Kumtha	Acacia senegal	Fabaceae
7	Shisam	Dalbergia sissoo	Fabaceae
8	Kakeda	Maytenus senegalensis	Celastraceae

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (उत्तर)

परिशिष्ट-'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नही होता है उसे काट दे)

वनखण्डः- संजय वन ''बी''
नाम रेन्जः- शाहपुरा
वन मण्डलः- जयपुर (उत्तर)

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में राजकीय वन विभाग जंगलात के नाम से दर्ज हैं। इस भूमि पर वन विभाग द्वारा वानिकीय विकास कार्य करवाये गये हैं। तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद हैं।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन हैं। प्रस्तावित भूमि में प्रथम दृष्ट्या कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नही किये हुए हैं।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन हैं। जिन पर वानिकीय विकास कार्य किये गये हैं एवं भविष्य में किये जाने की सम्भावना हैं।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.1 से 0.2 तक का हैं, एवं इन क्षेत्रों में मुख्यतः 8 प्रजातियों के पेड हैं।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन हैं। तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक हैं एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग हो रहा हैं।
6. प्रस्तावित भूमियों का मानचित्र संलग्न हैं।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे। किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे हैं।
8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ हैं।

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (उत्तर)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।